## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर —संशोधित आदेश—

क्रमाक / 1009 /एस.डब्ल्यू. / 2020

जबलपुर, दिनांक 24 अप्रैल, 2020

जबलपुर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40—3/2020—डी.एम—1 (ए) दिनांक 15 अप्रैल 2020 द्धारा जारी दिशा—निर्देश एवं इस कार्यालय से जारी संशोधित आदेश क्रमांक/902/एस.डब्ल्यू/2020 जबलपुर दिनांक 20.04.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् पूर्व में इस कार्यालय के जारी आदेश क्रमांक 2079/एस.डब्ल्यू/2020 जबलपुर दिनांक 05.03.2020 के बिन्दुओं के साथ—साथ प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये जबलपुर शहर की नगर निगम सीमाओं में दिनांक 24.04.2020 की रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 27.04.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक टोटल लॉकडाउन का पूर्णतः कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है:—

- अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा—नगर निगम, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रेल विभाग, रक्षा विभाग एवं अन्य इमरजेंसी डि्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल डि्यूटी के प्रयोजन से सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
- 2. जबलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत समस्त सब्जी/फल मंडिया, थोक एवं फुटकर किराना दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी।
- आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी, सब्जी, फल ठेलों से विक्रय की व्यवस्था प्रणाली यथावत जारी रहेगी।
- 4. उचित मूल्य राशन दुकाने (पी.डी.एस. की दुकानें) पूर्णतः बंद रहेंगी।
- 5. जिले के अंतर्गत अति आवश्यक एवं कोरोना कार्य छोड़कर समस्त निजी एवं शासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेगें।
- 6. दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल अति आवश्यक सेवाएं वाले वाहनों को उक्त प्रतिबंध से छूट होगी।
- 7. कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेगा।
- 8. केवल दूध विक्रय दुकाने प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं सायं 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक ही खुली रहेगी।
- 9. दवाई की दुकाने इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
- 10. कृषक, गेहू, चना उपार्जन इत्यादि कृषि/उपार्जन कार्य में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को कपर्यू पास की आवश्यकता नही होगी। इस कार्यालय से पूर्व में जारी आदेश द्धारा जो छूट दी गई थी वह समस्त छूट यथावत् रहेगी। इसमें पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी, इत्यादि अन्य कृषि संबंधी गतिविधियाँ शामिल है।
- 11. प्रिंट / इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं व्यवस्था बनाने हेतु सामजिक संगठन जिन्हें पूर्व में पास जारी किया गया है, वो इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे।

24/04/2020

...2/-

522

यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विहित धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 24.04.2020 की रात्रि 12.00 बजे से 27.04.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 24.04.2020 को जारी किया गया।

पृष्टांकन क्रमांक /1009 /एस.डब्ल्यू. / 2020

जबलपुर, दिनांक 24 अप्रैल, 2020.

प्रतिलिपि :-

- 1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
- 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 4. कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
- 5. पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन, जबलपुर।
- 6. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर-1, 2/ग्रामीण, जिला जबलपुर।
- 8. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, जबलपुर।
- 10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जबलपुर/कुंडम/सिहोरा/पाटन/शहपुरा, जिला जबलपुर।
- 12. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, (नगर), रांझी / गोरखपुर / अधारताल, जिला जबलपुर।
- 13. जिला आपूर्ति नियंत्रक, जबलपुर।
- 14. उपसंचालक, कृषि, जबलपुर।
- 15. पुलिस कंट्रोल रूम, जबलपुर।
- 16. केन्द्र निदेशक, आकावाणी / दूरदर्शन जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 17. उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन, जबलपुर की ओर नगर के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 18. प्रबंधक, ई-गव्हर्नेस, जबलपुर की ओर संदेश प्रसारित करने हेतु अग्रेषित।

कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर

पत्र क्रंमाक नि.स.(आ.) / 2020 🎗 , 51

जबलपुर दिनॉक224/,04/2020

## —ःआदेशःः—

जबलपुर शहर में कोरोना पाजेटिव मिलने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा आगामी तीन दिवस पूर्ण बन्दी लगाया जा रहा है, जिसमें नागरिकों का बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

उक्त स्थिति को देखते हुए कान्टेनमेंट क्षेत्रों में कोरेन्टाईन व्यक्तियों को आवश्यक सामग्री मिल सकें एवं उस क्षेत्र में शतप्रतिशत सेनेट्राईजेशन हो सके इसके लिए कान्टेनमेंट क्षेत्रों में अस्थाई उपकार्यालय बनाये जाकर अधिकारी/कर्मचारियों की डियूटी निर्धारित की गई है ।

कान्टेनमेंट क्षेत्रों में दैनिक उपयोग की सामग्री जिसमें सब्जी, फल, दूध, किराना इत्यादि की सतत् रूप से व्यवस्था हेतु श्री टी.एस. कुम्भरे, अतिरिक्त आयुक्त, नोडल अधिकारी श्री सनखेरे, उपायुक्त, सहा. नोडल धिकारी एवं श्री दिनेश प्रताप सिंह, बाजार अधीक्षक, एवं श्री राकेश तिवारी क्रीडा अधिकारी को दायित्व सौंपे गये हैं। उक्त अधिकारी विशेषतः हनुमानताल कान्टेनमेंट क्षेत्रों एवं सराफा कंटेनजेन्ट क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की सतत् व्यवस्था हेतु 10–10 वाहनों में दूध, सब्जी, किराना की व्यवस्था करें। अन्य सभी कंटेनजेन्ट क्षेत्रों में भी अतिरिक्त व्यवस्था करें। इस व्यवस्था को आज रात्रि 12:00 बजे तक तैयार कर ले जिससे दिनांक 25/04/2020 से 27/04/2020 तक की व्यवस्था में कोई अवरोध पैदा न हो। इसके लिये सब्जी, आलू, प्याज, किराना के थोक व्यापारियों से समन्वय कर व्यवस्था बनायें।

कान्टेनमेंट क्षेत्रों में श्री राकेश अयाची, अतिरिक्त आयुक्त एवं श्री भूपेन्द्र सिंह स्वास्थ्य अधिकारी सुनिश्चित करें की कान्टेनमेंट क्षेत्र में प्रतिदिन सुबह—शाम अनिवार्य रूप से सेनेट्राइजेशन, कीटनाशक एवं फौगिंग मशीन का छिड़काव किया जावें । सफाई के क्षेत्र में सघन कार्य किया जायें।

नगर निगम, जबलपुर जबलपुर दिनॉक 24/04/2020

पत्र क्रंमाक नि.स.(आ.) / 2020 / **5**1 प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- प्रशासक, नगर पालिक निगम जबलपुर।
- 2. कलेक्टर, जिला जबलपुर।
- 3. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर।
- 4. समस्त अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम जबलपुर।
- संबंधित अधिकारी, नगर निगम, जबलपुर को पालनार्थ।

अयुक्त 20